न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 04 सन 2019
अनवान :–

1. मनप्रीतकोर पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. दर्शनसिह पुत्र जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरदीप कौर पत्नी दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 09.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक शिवपुरा के खाता संख्या 21/33 के प0न0 307/382(66) के किला न0 12/0.253 ,13/0.253 ,18/0.253 ,23/0.253 ,24/0.253 कुल 1.2650हैक प0न0 308/382(67) के किला न0 14/0.253 ,15/0.253 ,16/0.253 ,17/0.253 ,25/0.253 ,प0न0 308/382 (68) के किला न0 8/0.253 ,9/0.253 ,10/0.253 ,11/0.253 ,12/0.253 ,13/0.253 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 2.024हैक कुल 3.4280हैक प0न0 308/383(85) के किला न0 1 ,2/0.506 प0न0 307/383(87) के किला न0 3/0.253 ,प0न0 0 मु0न0 102/28 के किला न0 0/1 की 0.1140हैक गै0मु0रास्ता कुल 6.8310हैक भूमि जो वादीया के दादा जरनैलसिह एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 25/144 के प0न0 309/382 मु0न0 0 किला न0 0 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता व प0न0 308/382(67) के किला न0 4 ता 7/1.0120हैक प0न0 309/382 (68) के किला न0 1/0.227 ,2/0.228 ,3/0.228 कुल 1.7710हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वदीया के दादा 18 हिस्से के तथा रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 26/147 के प0न0 0 मु0न0 21/68 के किला न0 0 की 0.510हैक गै0मु0 खाला प0न0 310/382 मु0न0 69 में किला न01 की 0.227हैक 2/0.228 9/0.253 हैक कुल तादादी 0.759हैक जिसमें वादीया के दादा खातेदार काश्तकार है।

वादीया के दादा जरनैलसिह के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि उनके दो पुत्रों पर ओद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के पिता के हिस्से में रोही मोजा शिवपुरा के खाता संख्या 21/33 की कुल तादादी 6.8310हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 25/144 की कुल 1.7710हैक भूमि में से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 9 हिस्से व रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 26/147 की कुल 0.759हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सयुक्त तोर 1/2 हिस्सा दर्ज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के काराण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसकी धोषणा करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भी वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा शिवपुरा के खाता संख्या 21/33 की कुल तादादी 6.8310हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकारं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 25/144 की कुल 1.7710हैक भूमि में से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 9 हिस्से वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 26/147 की कुल 0.759हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सयुक्त तोर 1/2 हिस्सा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)